

इज़राइल का भूमिहड़पने का कानून तथा इसकी महत्ता

क्या नया कानून वास्तव में कोई परविरतन लाएगा?

- इस कानून के अंतर्गत इज़राइल ने वेस्ट बैंक (West Bank) की नज़ि फलिसितीनी भूमि (Palestinian land) (जहाँ इज़राइली बस्तियाँ एवं चौकियाँ (Israeli settlements or outposts) अवस्थित हैं) को हड़पने के लिये एक नई नीति लागू की है।
- इस कानून के अंतर्गत यहूदी बस्तियाँ (Jewish settlers) को उनके घरों में रहने की तो अनुमति प्रदान की गई है, यह और बात है कि इन लोगों को जहाँ वे रह रहे हैं उस स्थान का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जाएगा।
- इस कानून के तहत फलिसितीनी लोगों को तब तक इस भूमि पर दावा करने तथा इसे कब्ज़े में लेने से रोका गया है जब तक कि उक्त प्रदेशों के वषिय में कोई राजनयिक संकल्प नहीं किया जाता है।

वेस्ट बैंक पहले से ही कब्ज़े में है

- इस कानून के वशिधियों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून "एक भयानक एवं खतरनाक कानून" है।
- इज़राइली के पूर्व मंत्री देन मेरदोर (Den Meridor) द्वारा इस बात ज़ोर दिया गया कि इज़राइल संसद ने न तो इससे पहले कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया और न ही ऐसे किसी कानून को स्वीकृति ही प्रदान की है जिसके तहत वेस्ट बैंक में फलिसितीनी संपत्तियों के मालिकाना हक को वनियमिति किया जा सके।
- वेस्ट बैंक के यहूदी एवं सामरिया अरबी लोग (Arabs of Judea and Samaria) कनेसेट (Knesset) के लिये वोट नहीं करते हैं, इसलिये इज़राइल को इन्हें वनियमिति करने का कोई अधिकार नहीं है।
- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इज़राइली कानून और लोकतंत्र के अपने कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। ऐसी स्थिति में एक अहम प्रश्न यह उठता है कि यदि इज़राइल को वेस्ट बैंक में पूर्ण सम्प्रभुता प्राप्त है तो यह वेस्ट बैंक के क्षेत्र में फलिसितीनी लोगों को नागरिकता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें वोट देने का अधिकार भी प्रदान कर सकता है।
- परन्तु जब तक इज़राइल की संसद ऐसा नहीं करती है तब तक इज़राइली प्रशासन को ही वेस्ट बैंक में भूमि संबंधी मामलों को न केवल वनियमिति करना होगा बल्कि ऐसा करना आवश्यक भी है, क्योंकि यह क्षेत्र सुरक्षा कारणों से (इज़राइल तथा अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों के लिये) एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

क्या इज़राइल के महान्यायवादी ने इस कानून को सहमति प्रदान की है?

- गौरतलब है कि इज़राइल के महान्यायवादी (Attorney General) अविचै मंदेलब्लित (Avichai Mandelblit) द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई है कि यदि इस कानून को अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है तो वे इस कानून के बचाव में अदालत में कानून का पक्ष नहीं रखेंगे क्योंकि यह कानून चौथे जनिवा कन्वेंशन (Fourth Geneva Convention) का उल्लंघन करता है।

कानून के तहत कतिनी बस्तियाँ प्रभावित होंगी?

- एक लम्बे समय से इज़राइल में शांति की मांग कर रहे संगठन पीस नाउ (Peace Now) के अनुसार, इस कानून के अंतर्गत 50 से अधिक बस्तियाँ एवं चौकियों का पूर्व-व्यापीवैधीकरण (Retroactive legalization) करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- इनमें से उन 16 बस्तियों एवं चौकियों को ध्वस्त करने के आदेश दे दिये गए हैं, जिन पर फलिसितीनी लोगों का मालिकाना हक है।
- इस नए कानून के अंतर्गत, इस बात की जाँच करने के लिये कि क्या राज्य द्वारा उक्त भूमि को ज़ब्त किया जा सकता है अथवा नहीं, के सन्दर्भ में कार्यवाही करने संबंधी आदेशों के अनुपालन को एक वर्ष के लिये लंबित किया जा सकता है।

क्या उक्त बस्तियों एवं चौकियों में रह रहे फलिसितीनी लोगों को मुआवज़ा दिया जाएगा अथवा नहीं ? यदि दिया जाएगा तो कतिना?

- इस नए कानून के अंतर्गत, यदि भूमिकनि हुआ तो फलिसितीनी ज़मीनधारकों को एक विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, वह यह कि उन्हें उक्त भूमि के विकल्प के तौर पर ज़मीन का एक अन्य टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा।
- और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फलिसितीनी ज़मीनधारकों को 20 वर्षों के अक्षय समय (Renewable Periods) के लिये उनकी ज़मीन की कीमत का 125 प्रतिशत मूल्य चुकाया जाएगा।

सरकार द्वारा इस वषिय में एक लम्बे समय से संघर्ष जारी है। क्या ऐसे में यह पूर्व के नरिण्यों जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है?

- गौरतलब है कि उक्त कानून ने पछिले वर्ष नवंबर तथा दसिम्बर में ही अपनी प्रारंभिक वधायी बाधाओं को पार कर लिया है। परन्तु इसके बावजूद इसे वभिन्न कारणों से स्थगति किया जा रहा था।
- संभवतः इसका प्राथमिक कारण ओबामा प्रशासन के समय लिये फैसले के संबंध में ट्रम्प प्रशासन की प्रतिक्रिया से उपजी चिंताएँ हैं, जिसके वषिय में वचिर करते हुए इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिनि नेतान्याहू द्वारा जल्दबाज़ी में कोई भी नरिणय न करना है।
- हालाँकि इसके बावजूद इज़राइल के शकिषा मंत्री नफ़ताली बेनेट (Naftali Bennett) ने इस कानून को लागू करने पर बल दिया है।

ऐसी स्थिति में इस कानून को पुनर्जीवति किया गया? साथ ही, इस पर 6 फरवरी की मध्य रात्रि में वोट को लंबति करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया?

- ध्यातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इज़राइली प्रधानमंत्री को स्पष्ट किया था कि उनकी 15 फरवरी को नरिधारति बैठक से पूर्व इज़राइल इस वषिय में कोई नरिणय न ले, परन्तु उसके बाद भी यह नरिणय किया जाना अपने आप में संदेह का वषिय है।
- हालाँकि इज़राइली प्रधानमंत्री द्वारा 5 फरवरी को हुई एक बैठक में इस नरिणय को लंबति रखने संबंधी नरिणय लिया गया था, परन्तु बेनेट तथा अन्य नेताओं के भारी दबाव में इस नरिणय को और अधिक लंबति न रखने नरिणय लिया गया है।
- ऐसे में अब इस कानून को और अधिक लंबति न रख पाने की स्थिति में नेतान्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को इस वषिय में संक्षिप्त वविरण देना होगा। ताकि उन्हें अपनी बात एवं स्थिति स्पष्ट कर सकें। हालाँकि इस समय नेतान्याहू इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने इस कानून को पास करने में वोट को लंबति करने के संबंध में कोई गंभीर प्रयास किया था।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/israels-land-grab-law-and-why-it-matters>

